

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक प.3 (54)/नविवि/3/2011-पार्ट

जयपुर, दिनांक

01 DEC 2

1. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण
2. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
4. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम (समस्त), राजस्थान।
6. सचिव, नगर विकास न्यास (समस्त)



विषय :- "प्रशासन शहरों के संग अभियान-2012" के दौरान आ रही कठिनाईयों के निराकरण के क्रम में मार्ग-दर्शन/शिथिलन बाबत

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के ध्यान में "प्रशासन शहरों के संग अभियान-2012" के क्रम में आयोजित शिविरों में पट्टा जारी करने के सम्बन्ध में निम्न बिन्दु मार्ग-दर्शन/शिथिलन प्रदान करने हेतु लाये गये हैं। इस सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु निम्नानुसार मार्ग-दर्शन/शिथिलन प्रदान किया जाता है :-

1. गृह निर्माण सहकारी समितियों की योजनाओं में सोसायटी द्वारा आवंटित किये गये पट्टे में दर्शाये गये भूखण्ड का क्षेत्रफल सम्बन्धित प्राधिकरण/न्यास/स्थानीय निकाय द्वारा पारित किये गये योजना के ले-आउट प्लान में कम दर्शाया गया है। मौके पर आवंटी सोसायटी द्वारा पट्टे में दर्शाये गये क्षेत्रफल के अनुसार काबिज है। आवंटी द्वारा सोसायटी के आवंटन पत्र में अंकित क्षेत्रफल अनुसार पट्टा दिये जाने की मांग की जा रही है। क्या आवंटन पत्र में दर्शाये क्षेत्रफल के अनुसार पट्टा जारी किया जा सकता है ?

इस सम्बन्ध में सक्षम स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि किसी गृह निर्माण सहकारी समिति की अनुमोदित योजना के ले-आउट प्लान में यदि मौके की स्थिति से कम साईज का भूखण्ड दर्शाया हुआ है और मौके पर भूखण्ड की साईज अधिक होने के कारण योजना की सड़को एवं अन्य सुविधाओ का क्षेत्र प्रभावित/कम नहीं होता है तो ऐसे ले-आउट प्लान को स्थानीय निकाय की जेड.एल.सी./ले-आउट प्लान अनुमोदन समिति को संशोधित करने हेतु अधिकृत किया जाता है, ताकि ले-आउट प्लान के संशोधन के उपरान्त मौके पर सोसायटी के आवंटन पत्र अनुसार उपलब्ध क्षेत्रफल का पट्टा जारी किया जा सके। यदि पूर्व में ले-आउट प्लान के अनुसार भूखण्ड की लीज डीड जारी की जा चुकी है तो अब संशोधित ले-आउट प्लान के अनुरूप भूखण्ड के बड़े हुए क्षेत्रफल की लीज डीड प्रचलित नियमन दर ली जाकर जारी की जावे।

2. प्राधिकरण/न्यास एवं स्थानीय निकाय की योजनाओं में आवंटित/विक्रय किये गये भूखण्डों का वास्तविक क्षेत्रफल योजना मानचित्र में दर्शाये गये भूखण्डों की माप से मौके पर अधिक पाये जाने पर बड़े क्षेत्रफल के नियमन/आवंटन हेतु विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 17.10.2012 द्वारा निर्देश जारी कर दिये गये हैं, लेकिन गृह निर्माण सहकारी समिति के भूखण्डों का योजना मानचित्र में दर्शाये गये क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्र पाये जाने पर नियमन के निर्देश नहीं दिये गये हैं।


इस संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि गृह निर्माण सहकारी समिति आदि की योजनाओं में मानचित्र में दर्शाये गये भूखण्ड की माप से मौके पर भूखण्ड का क्षेत्रफल

बढ़ा हुआ पाया जावे तो भूखण्ड की माप से मौके पर 10 प्रतिशत तक बढ़े हुये क्षेत्रफल का नियमन सामान्य नियमन दर पर एवं 10 प्रतिशत से अधिक बढ़े हुये क्षेत्रफल को योजना की आरक्षित दर की 25 प्रतिशत राशि लेकर नियमन किया जावे।

3. गृह निर्माण सहकारी समिति आदि की आवासीय योजनाओं के भूखण्डों में मौके पर वाणिज्यिक उपयोग किया जा रहा है। ऐसे भूखण्डों का पट्टा जारी किया जावे या नहीं ? यदि जारी किया जाना है तो किस प्रयोजनार्थ ?
- (i) इस संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि गृह निर्माण सहकारी समिति आदि की आवासीय योजनाओं में मौके पर जिन भूखण्डों में वाणिज्यिक गतिविधियाँ चल रही हैं। उन भूखण्डों का आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा जारी किया जावे। ऐसे भूखण्डों के सम्बन्ध में भविष्य में वाणिज्यिक नियमन हेतु कोई नीतिगत निर्णय होगा तो तदनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
- (ii) इस संबंध में यह भी निर्णय लिया गया है कि गृह निर्माण सहकारी समिति के भूखण्ड का वर्तमान में मास्टर प्लान में वाणिज्यिक, संस्थानिक आदि उपयोग दर्शाया गया है तो मास्टर प्लान के अनुसार सड़क की चौड़ाई मास्टर प्लान के अनुसार रखते हुए एवं भवन विनियमों की शर्तें पूरी करने पर वाणिज्यिक, संस्थानिक आदि प्रयोजनार्थ पट्टा जारी किया जा सकता है।

उपरोक्तानुसार प्रदत्त किये गये शिथिलन/मार्ग-दर्शन के अनुसार "प्रशासन शहरों के संग अभियान-2012" के दौरान आयोजित शिविरों में कार्यवाही करते हुए पट्टा जारी किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

आज्ञा से



(एन.एल.मीना)

शासन उप सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, स्वा.शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, राजस्थान।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वा.शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
8. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिका.....।
10. शासन उप सचिव प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अन्य अधिकारीगण, नविवि।
11. रक्षित पत्रावली।



शासन उप सचिव-तृतीय